चेक लिस्ट क्र. 07

FORM IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

संलग्न है।

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

कंडिका कमांक 07

FORM IV

1	परियोजना ब्योरे	
(i)	उन प्रस्तावों तथा परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वन भूमि अपेक्षित है –	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र धरमजयगढ़ के कक्ष कमांक ग्राम गवारघुट्टी **PF-355** रकबा 0.311 हेक्टे., **PF-360** रकबा 0.213 हेक्टे., मिरिगुडा **PF-354** रकबा 0.626 हेक्टे., परिक्षेत्र बोरो के कक्ष कमांक ग्राम नकना **RF-641** रकबा 0.462 हेक्टे., और खम्हार **RF-629** रकबा 0.486 हेक्टे. ., परिक्षेत्र कापू के कक्ष कमांक ग्राम सोनपुर **RF-80** रकबा 1.762 हेक्टे., और **RF-35** रकबा 1.773 हेक्टे. कुल रकबा **5.633 हेक्टे.** वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के ग्राम धरमजयगढ़ में खसरा क्र. **1303/1क** रकबा 0.434 **हेक्टे.** ,1303/1क/1 रकबा 0.650 हेक्टे. ,1310/1क/1 रकबा 0.344 **हेक्टे.**,1311/1क/1 रकबा 0.902 **हेक्टे.** ग्राम मिरिगुडा में खसरा क्र. 558/1क रकबा 0.830 **हेक्टे.** , 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 **हेक्टे.** , 209/1क रकबा 0.540 **हेक्टे.**, कुल रकबा **4.832 हेक्टे. राजस्व वन भूमि**, कुल रकबा **10.465 हेक्टे. वन/राजस्व वन भूमि** प्रभावित हो रही है। **अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् कुल रकबा 10.465 हे. क्षेत्र में वन/राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है।**
(ii)	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्योरा ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो –	धरमजयगढ़ वन मंडल **10.465 हे.** संरक्षित वन रकबा 1.636 हे. आरक्षित वन रकबा 3.997 हे. राजस्व वन रकबा 4.832 हे. कुल वन रकबा 10.465 हे.
(iii)	परियोजना की कुल लागत –	रूपये 140.71 करोड़

<table>
<tr><td>(iv)</td><td>परियोजना को वन क्षेत्र में लगाने का औचित्य , तथा इसके लिए जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताये जाएँ–</td><td>रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है , उक्त कार्य हेतु पूर्व में निर्मित मार्ग की ही मध्य रेखा का उपयोग किया जा रहा है केवल चौड़ीकरण के लिए ही वन भूमि की मांग की जा रही है । इस परियोजना में समस्त पहलुओं को जांचने के उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता ।</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>वित्तीय तथा सामाजिक लाभ–</td><td>उक्त मार्ग उन्नयन से लोगो को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। ईंधन, समय की बचत एवं आर्थिक लाभ परिलछित है।</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>कुल लाभान्वित होने वाली आबादी–</td><td>मार्ग चौड़ीकरण कार्य से धरमजयगढ़ तहसील से लगे हुए मिरिगुडा, नकना, भोजपुर, बकालो, सोनपुर, कापू आदि ग्राम के निवासी लाभान्वित होंगे।</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>सृजित रोजगार –</td><td>लगभग 279900 मानव दिवस</td></tr>
<tr><td>2</td><td>परियोजना / स्कीम का स्थान</td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>राज्य /केन्द्रशासित प्रदेश –</td><td>छत्तीसगढ़</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>जिला –</td><td>रायगढ़</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>वन प्रभाग ,वनखंड ,कक्ष क्र. –</td><td>
<table>
<tr><th>वन प्रभाग</th><th>वनखण्ड</th><th>कक्ष कमांक</th><th>वैधानिक स्थिति</th></tr>
<tr><td rowspan="8">धरमजयगढ़</td><td>अड़पहरी</td><td>355</td><td>संरक्षित वनभूमि</td></tr>
<tr><td>सेमीपाली</td><td>360</td><td>संरक्षित वनभूमि</td></tr>
<tr><td>कदममुड़ा</td><td>354</td><td>संरक्षित वनभूमि</td></tr>
<tr><td>जलडेगा</td><td>641</td><td>संरक्षित वनभूमि</td></tr>
<tr><td>कमईपहाड</td><td>629</td><td>संरक्षित वनभूमि</td></tr>
<tr><td>जंगलमहुआ</td><td>80</td><td>आरक्षित वनभूमि</td></tr>
<tr><td>कुमरता</td><td>35</td><td>आरक्षित वनभूमि</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिये कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्योरा –</td><td>ग्वारघुटरी PF-355 रकबा 0.311 हेक्टे., PF-360 रकबा 0.213 हेक्टे., मिरिगुडा PF-354 रकबा 0.626 हेक्टे., नकना RF-641 रकबा 0.462 हेक्टे., और खम्हार RF-629 रकबा 0.486 हेक्टे.,सोनपुर RF-80 रकबा 1.762 हेक्टे., और RF-35 रकबा 1.773 हेक्टे. कुल रकबा 5.633 हेक्टे. वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के ग्राम धरमजयगढ़ में खसरा क्र. 1303/1क रकबा 0.434 हेक्टे. ,1303/1क/1 रकबा 0.650 हेक्टे. ,1310/1क/1 रकबा 0.344 हेक्टे.,1311/1क/1 रकबा 0.902 हेक्टे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क्र. 558/1क रकबा 0.830 हेक्टे. , 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हेक्टे. , 209/1क रकबा 0.540 हेक्टे., कुल रकबा 4.832 हेक्टे. राजस्व वन भूमि, कुल रकबा 10.465 हेक्टे. वन/राजस्व वन भूमि।</td></tr>
</table>

4	शामिल वन भूमि का ब्योरा –	
(i)	वन की वैधानिक स्थिती (नामतः आरक्षित ,संरक्षित , अवर्गीकृत आदि)–	संरक्षित वन, आरक्षित वन, राजस्व वन
(ii)	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात व प्राणीजात का ब्योरा –	संलग्न है। पेज क्रमांक –
(iii)	वनस्पति की सघनता –	घनत्व 0.4 – 0.5
(iv)	वृक्षों का प्रजातिवार एवं श्रेणीवार सार	संलग्न है। पेज क्रमांक –
(v)	भूमि कटाव के लिए वन क्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं –	वन क्षेत्र प्रत्यावर्तित होने से शेष वनभूमि पर किसी भी प्रकार का भू–क्षरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
(vi)	क्या यह राष्ट्रीय उधान , वन्य जीव अभ्यारण्य , प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व का एक हिस्सा (भाग) है , यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्योरा दें (मुख्य जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणियों को संलग्न करें)	संलग्न है।
(vii)	विभिन्न प्रयोजनों के लिये परियोजना / स्कीम के लिये कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्योरा –	गवारघुट्टी PF-355 रकबा 0.311 हेक्टे., PF-360 रकबा 0.213 हेक्टे., मिरिगुडा PF-354 रकबा 0.626 हेक्टे., नकना RF-641 रकबा 0.462 हेक्टे., और खम्हार RF-629 रकबा 0.486 हेक्टे.,सोनपुर RF-80 रकबा 1.762 हेक्टे., और RF-35 रकबा 1.773 हेक्टे. कुल रकबा **5.633 हेक्टे. वन भूमि** एवं धरमजयगढ़ तहसील के ग्राम धरमजयगढ़ में खसरा क्र. 1303/1क रकबा 0.434 हेक्टे. ,1303/1क/1 रकबा 0.650 हेक्टे. ,1310/1क/1 रकबा 0.344 हेक्टे.,1311/1क/1 रकबा 0.902 हेक्टे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क्र. 558/1क रकबा 0.830 हेक्टे. , 558/9क् एवं 560/1क रकबा 1.132 हेक्टे. , 209/1क रकबा 0.540 हेक्टे., कुल रकबा 4.832 हेक्टे. राजस्व वन भूमि, कुल रकबा 10.465 हेक्टे. वन/राजस्व वन भूमि।
(viii)	क्षेत्र में पाए जाने वाली दुर्लभ एवं संकटपन्न वनस्पतियों एवं प्राणी जातों का विवरण –	नहीं
(ix)	क्या यह प्रवासी जीव जंतु के लिए एक वास स्थल है , या उनके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है –	नहीं
(x)	प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व –	नहीं
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्योरा –	

(i)	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या –	परियोजना के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
(ii)	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या –	परियोजना के कारण कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार विस्थापित नहीं हो रहे हैं।
(iii)	विस्तृत पुनर्वास योजना –	आवश्यकता नही।
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्योरे	
(i)	क्षतिपूरक वनरोपण के लिये पहचान किये गये वनक्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र का ब्योरा , निकटवर्ती वनों से इसकी दुरी , हिस्सों की संख्या , प्रत्येक हिस्से का आकार –	संलग्न है।
(ii)	क्षतिपूरक वनरोपण के लिये पहचान किये गये वनक्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र –	संलग्न है।
(iii)	रोपण की जाने वाली प्रजातियों , कार्यान्वयन एजेंसी , समय सूची , लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम –	संलग्न है।
(iv)	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय –	संलग्न है।
(v)	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में एवं प्रबंध की दृष्टी में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये जो कि उप वन संरक्षक श्रेणी से नीचे का अधिकारी ना हो)	संलग्न है।
(vi)	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –	संलग्न है।
7	पारेषण लाइनों के लिए ब्योरे (केवल पारेषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये)	
(i)	पारेषण लाइनों के की कुल लम्बाई	आवश्यकता नहीं।
(ii)	वनक्षेत्र से गुजरने वाली लाइन की लम्बाई –	
(iii)	मार्ग का अधिकार –	
(iv)	निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	

(v)	वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	आवश्यकता नहीं।
(vi)	पारेषण टॉवरों की ऊंचाई –	
8	सिंचाई / वन विधुत परियोजनाओं के लिये	
(i)	कुल आवाह क्षेत्र –	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है। अतः पारेषण लाइन के ब्योरों की आवश्यकता नहीं है।
(ii)	कुल कमांड क्षेत्र –	
(iii)	कुल जलाशय स्तर –	
(iv)	उच्च बाढ़ स्तर –	
(v)	न्यूनतम प्राप्ति स्तर –	
(vi)	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्योरा –	
(vii)	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	
(viii)	पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र –	
(ix)	पूर्ण जलाशय स्तर से 2 मी. नीचे जलमग्न क्षेत्र –	
(x)	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मी. नीचे जलमग्न क्षेत्र –	
(xi)	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	
(xii)	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना –	
(xiii)	कुल वित्तीय परिव्यय , क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में	
9	केवल सड़क / रेल लाइनों के बारे में ब्योरे	
(i)	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई चौड़ाई और वन क्षेत्र –	कुल लम्बाई – 32.790 km चौड़ाई – 14 m.
(ii)	सड़क की कुल लम्बाई –	32.790 km
(iii)	पहले बनाई जा चुकी सड़क की कुल लम्बाई –	32.790 km
(iv)	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाले सड़क की कुल लम्बाई –	7.475 km
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्योरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	
(i)	कुल खनन पट्टा क्षेत्र एवं अपेक्षित वनक्षेत्र –	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है। अतः खनन प्रस्तावों के ब्योरों की आवश्यकता नहीं है।
(ii)	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	
(iii)	वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र में प्रत्येक खनिजध्कच्चे धातु का	

	अनुमानित भंडार	
(iv)	खनिजध्कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन –	
(v)	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदानध्भूमिगत)	
(vi)	चरणबद्ध सुधार योजना –	
(vii)	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान –	
(viii)	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जाये	
(ix)	नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या –	
	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल –	
(a)	खनन	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है। अतः खनन प्रस्तावों के ब्योरों की आवश्यकता नहीं है।
(b)	खनिज /कच्चे धातु का भण्डारण –	
(c)	अधिभार को जमा करना –	
(d)	औजारों एवं मशीनों का भण्डारण –	
(e)	भवनों , बिजलीघरों एवं कार्यशालाओं आदि का निर्माण –	
(f)	शहर , आवास कालोनियां –	
(g)	सड़क ,रेल मार्ग ,रज्जू मार्ग का निर्माण	
(h)	अपेक्षित वन क्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना –	
(xi)	परियोजना के तहत् ऊपर (a) से (h) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गयी है , उनका वन क्षेत्र के बाहर शुरूध्स्थापित ना किये जाने के क्या कारण हैं –	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है। अतः खनन प्रस्तावों के ब्योरों की आवश्यकता नहीं है।
(xii)	खनन एवं संबंधित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली संभावित क्षति एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	
(xiii)	बारहमासी नदियों के मार्गों , राष्ट्रीय राजमार्गों , राष्ट्रीय उधानों अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों की खनन स्थल से दुरी –	
(xiv)	पुनः उपयोग के लिए ऊपरी मिट्टी के भण्डार की प्रक्रिया –	
(xv)	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल,वन	

	तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव –	
11	लागत लाभ विश्लेषण	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. क्षेत्र में वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है, जो की 20 हे. से कम है अतः भारत सरकार के दिशानिर्देश क्र. 7 – 69 / 2011 – एफ.सी. दिनांक 01 .08 .2017 के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। संलग्न है। पेज क्रमांक –
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो क्या उसके अपेक्षित ब्योरे प्रस्तुत कर दिए गये हैं (हाँ /नहीं)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. क्षेत्र में वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है। मार्ग की कुल लम्बाई 32.79 कि.मी. चौड़ाई 14 मी. है। उक्त मार्ग भारत का राजपत्र असाधारण भाग –II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली बृहस्पतिवार सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928 के बिन्दु 7(f) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नहीं है। अतः पर्यावरण संरक्षण की स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। संलग्न है। पेज क्रमांक –
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है (हाँ /नहीं) यदि हाँ तो	
(i)	शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्योरे –	अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं किया गया है अतः आवश्यकता नहीं है।
(ii)	अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी –	
(iii)	उल्लंघन करने वाले अधिकारीयों के खिलाफ की गयी/की जा रही कार्यवाही	
(iv)	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है –	
14	कोई अन्य विवरण –	नहीं।
15	संलग्न किये गये दस्तावेजों /प्रमाण पत्रों के ब्योरे –	सभी सम्बंधित दस्तावेज़ संलग्न हैं – 1) वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र 2) पंजीयन प्रमाण पत्र 3) वैकल्पिक वृक्षारोपण उपयोगिता प्रमाण पत्र 4) स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक, वनविभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार –	

(i)	इसमें सम्मिलित वन भूमि इमारती लकड़ी , जलाने की लकड़ी और अन्य वन उत्पाद पर प्रभाव	
(ii)	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्मनिर्भर है	
(iii)	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	
(iv)	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति –	
(v)	आदिवासियों के पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था एवं जीविका –	
(vi)	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या ना करने के लिये मुख्य वन संरक्षक / वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफरिशें –	

Certified that all other alternatives for the purpose have been exploded and demand for forest land is minimum.

(ए. के. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)